



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

प्रो. मनीष
कुलसचिव (प्रभारी)

By Speed Post/By Email/By Hand

F.No.55-69/2019-A&A/1003

दिनांक:24.01.2023

सेवा में,

प्रो. राजेश मकवाणा

अध्यक्ष, गुजराती भाषा और साहित्य केंद्र

अध्यक्ष (प्रभारी), डायस्पोरा अध्ययन केंद्र

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

विषय: दिनांक 24.01.2023 को संगोष्ठी आयोजित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संदर्भ में।


संदर्भ: माननीय कुलपति द्वारा 23.01.2023 को अनुमोदित।

प्रो. राजेश मकवाणा,

उपरोक्त वर्णित विषय पर दिनांक 19.01.2023 के आपके पत्र के संदर्भ में, आपको यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपको 24 जनवरी 2023 को “आंतर्राष्ट्रीय आंतरशाखाकीय परिषद वैश्विक भारतीय डायस्पोरा: 21वीं सदी में साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य” विषय पर संगोष्ठी आयोजित करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है।

यह पत्र आपकी जानकारी और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु है।

सादर,


कुलसचिव (प्रभारी)

प्रति (ईमेल द्वारा):

1. अधिष्ठाता, भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान
2. उप कुलसचिव (अकादमिक)
3. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
4. प्रशासनिक एवं प्राधिकारी अनुभाग
5. कुलपति सचिवालय

